न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 749/ 2019

गोपालराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणी खिचड़ान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 किशनचन्द पुत्र आदूमल जाति सिन्धी निवासी खैरूवाला हाल आबाद जयपूर तहसील व जिला जयपूर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादी)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 17.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,188,92ए आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 20 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 132/121 प.न. 95/139 मु.न. 8 कि.न. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी आराजी कुल खाता 1.012 है. नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 18 पी टी पी एव चक 20 पी टी पी के खसरा संख्या 76 की 6–6 बीघा, 94 की 7–5 बीघा, 2 की 4–5 बीघा, 19 की 7–8बीघा, 37 की 2–15 बीघा, 113 की 3–19 बीघा, 117 की 9–4 बीघा, 32 की 3–7 बीघा, 319 की 10–7 बीघा कुल 54–16 बीघा आराजी थी जो कि प्रतिवादी संख्या को उक्त 54–16 बीघा आराजी प्रतिवादीसंख्या 1 को अलॉटशुदा आराजी थी एव प्रतिवादी संख्या 1 को अलॉटशुदा आराजी की खातेदारी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दिनांक 27.05.1959 को दे दी थी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज गैर खातेदारी कुल 54–16 बीघा आराजी की खातेदारी सन् 1959 को दे दी थी एव उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज आराजी को अलग अलग रजिस्टर्ड बैयनामों के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को बेचान कर दी थी एवं खातेदारी सनद जारी के होने के उपरान्त उसके हक हिस्सा की समस्त आराजी का अंकन गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी हो चूका था परन्तु वाद पत्र की मद संखय 2 में वर्णित आराजी का आज भी अंकन गैर खातेदार चला आ रहा है जबकि उक्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संखय 1 को 1959 में ही मिल चूकी है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज दावा की मद संख्या 2 मे दर्ज आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 11.02.1965 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय हनुमानगढ के समक्ष दयालचन्द पुत्र टीकमचन्द को बेचान कर दी थी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को वादाधीनआराजी के खातेदारी अधिकार मिल चूके थे एव प्रतिवादी संख्या 1 कोवादाधीन आराजी को आगे बेचान करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे एव प्रतिवादी संख्या1 ने अपने इन्ही अधिकारों को प्रयोग करते हुये वादाधीन आराजी का बैयनामा सन् 1965में ही कर दिया था एव दयालचन्द पुत्र टीकमचन्द ने अपने हक हिस्सा की कीमतन खरीदशुदा आराजी को दिनांक 14.06.1974 को पूर्ण प्रतिफल लेकर वादी को बेचान कर दी थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

एव कब्जा आराजी सम्भलवा दिया था जो कि वादी दिनांक 14.06.1974 को बरोज खरीद से ही वादाधीन आराजी पर काबिज होकर शांन्तिपूर्वक बिना किसी विघ्न के काश्त करता आ रहा है। वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की वादाधीन आराजी जो किवादी की कीमतन खरीदशुदा आराजी है राजस्व रिकॉर्ड में आज भी उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात होने के कारण एव वादी के नाम मुताबिक बैयनामा दर्ज कागजात नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बैयनामा वादी के नाम से दर्ज कागजात नही होने के कारण वादी को वादाधीन आराजी पर किसी प्रकार के सरकारी अनूदानों का लाभ नही मिल पाता है इसलिए वादी वादाधीन कीमतन खरीदशुदा आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है। वादी वादाधीन आराजी को बरोज खरीद से ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है एव रजिस्टर्ड बैयनामा पूर्ण प्रतिफल देकर करवाया हुआ है जिसका इन्द्राज वादी अपने नाम से दर्ज कागजात करवाने के लिये प्रतिवादी संख्या 2 के पास कई बार गयाऔर निवेदन किया कि वादाधीन आराजी वादी की सन् 1974 से कीमतन खरीदशुदा आराजी है एव वादी ही उकत आराजी को सन् 1974 से लगातार काश्त करता आ रहा है , एव आप रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर वादाधीन आराजी का वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर देवे तो प्रतिवादीगण ने वादी की बात मानने से ईन्कार कर दिया बस यही बिनाये दावा है।वादी वादाधीन आराजी को सन् 1974 से लगातार काश्त करता आ रहा है वादाधीन आराजी को कीमतन खरीद किया है ,वादी ने वादाधीन आराजी को काफी मेहनत कर व रूपया पैसा खर्च करके उसे समतल व ऊपजाऊ बनाया है एव वादी के हक हिस्सा की कीमतन खरीदशुदा आराजी वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है एव आराजी वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारणवादी को अपूर्णनीय क्षति कारित हो रही है जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। वादी वादाधीन आराजी पर सन् 1974 से बरोज खरीद से लगातार काबिज होकर काश्त करता आरहा है एव वादी की कीमतन खरीदशुदा आराजी है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी को उसके हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की दावा की मदसंखय 2 में दर्ज आराजी से जबरन बेदखल करने एव रिकॉर्ड में किसी प्रकार का फेरबदल करने से बाज व ममनू रहे। इस बाबत वादी का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी बनता है एव सुविधा का सन्तुलन भी वादी के हक में है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि चक 20 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 132/121 प.न. 95/139 मु.न. 8 कि.न. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी आराजी कुल खाता 1.012 है. नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उक्तखाता से प्रतिवादीसंख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये अखबार साया से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी जरिये अखबार साया सीमा सन्देश से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादी में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादाधीन आराजी प्रतिवादी संख्या 1 किशनचन्द के नाम से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

है , जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को चक 18 पी टी पी व चक 20 पी टी पी के खसरा सं. 76 की 6–6 बीघा, 94 की 7–5 बीघा 2 की 4–5 बीघा , 19 की 7–8 बीघा, 37 की 2–15 बीघा, 113 की 3–19 बीघा 117 की 9–4 बीघा 32 की 3–7 बीघा , 319 की 10–7 बीघा कुल 54 बीघा 16 बिस्वा आराजी अलॉट हुयी थी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त समस्त 54बीघा 16 बिस्वा आराजी के खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सनद दिनांक 27.05.1959 को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दिये गये थे एव इस सम्बध में वादी ने वाद पत्र के साथ सनद की प्रमाणित प्रति पेश की है जिससे यह स्पष्ट है कि वादाधीन आराजी गैर खातेदारी नही है एव खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चूके है एव राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी अंकन है जिसका इन्द्राज सनद के मुताबिक नही हो पाया है व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 54बीघा 16 बिस्वा आराजी मे से वादाधीन 4 बीघा आराजी को 11.02.1965 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दयालचन्द को बेचान की है एव दयालचन्द द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.6.1974 को वादी को बेचान की है जो कि वादी ने अपने वाद पत्र के साथ उक्त रजिस्टर्ड बैयनामों की प्रतियां पेश की है जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है एव वादी के वाद पत्र का किसी भी प्रतिवादी ने उपस्थित होकर विरोध नही किया है वादी वादाधीन आराजी का सदभाविक क्रेता है व वादाधीन आराजी रिकॉर्ड में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम से दर्ज है जो कि वादाधीन आराजी का गैर खातेदारी के पश्चात खातेदारी या बैयनामों के आधार पर कभी भी आगे नामान्तरण नही किया गया है, एव आराजी वादाधीन प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि थी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को सन् 1959 में सनद जारी होने के पश्चात आराजी का बेचान किये जाने का पूर्ण हक अधिकार था एव वादी द्वारा पेश बैयनामा भी खातेदारी भूमि के है , एव सनद के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अन्य खातों में भी आराजी खातेदारी दर्ज हो चूकी थी एव जिसका बेचान प्रतिवादी संख्या 1 ने कर दिया है, इस सम्बध में वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य वाद पत्र के साथ पेश की गयी है। इस प्रकार वादी ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनो व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है , अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 20 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 132/121 प.न. 95/139 मु.न. 8 कि.न. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी आराजी कुल खाता 1.012 है. नहरी आराजी का वादी गोपालराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 किशनचन्द वल्द आदूमल का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.01.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: